न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 12/2021 तारीख रजू 22.03.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्रहामण (एबीओ व मालिक)–फर्म–श्री राधे ट्रेडर्स, दौसा बस स्टेण्ड के पास, कलेक्ट्रेट रोड, बजरिया, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर निवासी टोंक बस स्टेण्ड, बजरिया, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राज.)–322001
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगनसिंह (एबीओ व मालिक)–फर्म–**Shree Laxmi Nath Food Products, Krishna Vihar-5, Plot No 21 & 21A, Road No. 18, Aakera Dungar, V.K.I. Area, Jaipur (Rajasthan)-302013** निवासी 65–ए, गणेशनगरप्रथम, बालाजी कॉलेज के पास, बैनाड रोड, हरमाडा, जयपुर (राज.)–302013

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 13/5/24

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.11.2020 को समय लगभग 01.45 पी.एम. पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म–श्री राधे ट्रेडर्स, दौसा बस स्टेण्ड के पास, कलेक्ट्रेट रोड, बजरिया सवाई माधोपुर पर श्री सियाराम बैरवा, नायब तहसीलदार, कार्यालय तहसील सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहॉ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्रहामण बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया। विष्णु प्रसाद शर्मा अपनी फर्म पर धी, वनस्पति व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने विक्रेता से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं का परिचय पत्र दिखाने को कहा तो विक्रेता ने अपनी फर्म का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में एक रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हये **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन.स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** के 50 पैकिटो का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक विष्णुप्रसाद शर्मा से उक्त **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** के पैकिटों में से शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक ने फर्म के विक्रय परिसर में एक रैक में रखे हुए **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** के पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की

न्याय निर्णयन अधिक
एवं अति. जिला मजिस्ट्रे
सवाई माधोपुर

जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** के चारो पैकिटों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों के प्रत्येक डिब्बे पर अलग–अलग चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक डिब्बे पर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **एच–1937** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारो डिब्बे पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। फर्म पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक विष्णुप्रसाद शर्मा ने बताया कि यह माल विक्रेता ने बिल के जरिये फर्म–Shree Laxmi Nath Food Products, Krishna Vihar-5, Plot No 21 & 21A, Road No. 18, Aakera Dungar, V.K.I. Area, Jaipur से खरीदा है। खरीद बिल की एक स्वप्रमाणित प्रति भी दी। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर, सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग–अलग से सील्ड लिफाफे में श्री मोहम्मद असलम, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 18.11.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। बाकी बचे नमूने की दो सील बन्द डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 13.11.2020 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/2136 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2173/एक्ट/2020/2052 दिनांक 04.12.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक का नमूना अवमानक स्तर व मिथ्याछाप (Sub-Standard & Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति** का पाया गया।

अतः प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा **अवमानक स्तर व मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आज दिनांक 13.05.2024 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी गलती स्वीकार कर न्यूनतम शास्ति से दण्डित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने बाबत निवेदन करने पर पत्रावली बरामद की जाकर आज दिनांक 13.05.2024 को पेश हुयी। पत्रावली पेश होने पर अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** अवमानक स्तर एवं मिसब्राण्ड खाद्य प्रकृति का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य

न्याय निर्णयन अधि...
एवं अति. जिला मजि...
सवाई माधोपुर

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य वस्तु **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** को **अवमानक स्तर व मिथ्याछाप (Sub-Standard & Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति** का माना जाकर स्वंय द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा भविष्य में का खाद्य पदार्थ का आगे विक्रय नहीं करने हेतु बहस में निवेदन कर न्यूनत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/378/एक्ट/2021/460 दिनांक 24.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक अवमानक स्तर एवं मिथ्याछाप (Sub-Standard & Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006)** पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब/बहस में स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51व 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु वनस्पति किचिन स्पेशल (मधुश्री ब्रान्ड) 1 लीटर पैक** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/—रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 2 पर 30,000/—रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **13.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर